राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी – जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 152/2019

रहीश कुमार पुत्र श्री सुरजाराम उम्र 45 वर्ष जाति अहीर निवासी पिठोला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) मोबाईल नम्बर 9413642466

...............वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र तुला जाति छीपी निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. हजारी लाल पुत्र श्री सुरजाराम जाति अहीर निवासी पिठोला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. विद्या देवी पत्नि महावीर प्रसाद जाति अहीर निवासी पिठोला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. सरिता देवी पत्नि राकेश कुमार जाति अहीर निवासी पिठोला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
5. लेण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना/सिंघाना।

.................प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री राजेश यादव एडवोकेट – वादी

दावा– खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 08–03–2021

–: निर्णय :–

उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 17–12–2020 को पारित कर तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना को तहरीर जारी की गई कि वाके राजस्व ग्राम पिठोला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 हाल खाता संख्या 76 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 302, 312, 313, 314, 318, 320, 321, 418/296 किता 8 कुल रकबा 1.29 हेक्टेयर तथा हाल खाता संख्या 75 के हाल खसरा नम्बर 319 रकबा 0.80 हेक्टेयर भूमि में वादी के हिस्से की भूमि का खाता अलग कायम कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में [illegible] हिस्से [illegible] कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के [illegible] 18 [illegible] 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06–11–2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में भिजवाये। तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना द्वारा न्यायालय निर्णय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.04.29 14:07:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना जिला झुंझुनूं

अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिए पत्रांकः भू.अ./वि.प्र./021/324 दिनांक 21–01–2021 द्वारा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

तहसीलदार बुहाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी को सुना गया। विद्वान योग्य अधिवक्ता वादी ने तहसीलदार बुहाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–01–2021 के मुताबिक वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–01–2021 (प्रदर्श–'अ' व 'ब') के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–01–2021 (प्रदर्श–'अ' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08–03–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.04.29 14:07:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद संख्या 152/2019
GCMS NO. 2019/00836
रहीश कुमार बनाम रामस्वरूप आदि
निर्णय दिनांक 08–03–2021

(वाद में डिक्री)

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

रहीश कुमार पुत्र श्री सुरजाराम उम्र 45 वर्ष जाति अहीर निवासी पिठोला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) मोबाईल नम्बर 9413642466

................वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र तुला जाति छीपी निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. हजारी लाल पुत्र श्री सुरजाराम जाति अहीर निवासी पिठोला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. विद्या देवी पत्नि महावीर प्रसाद जाति अहीर निवासी पिठोला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. सरिता देवी पत्नि राकेश कुमार जाति अहीर निवासी पिठोला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
5. लेण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना/सिंघाना।

.................प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

मुकदमा नम्बर :– 152/2019

निर्णय दिनांक :– 08–03–2021

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से **कोई नहीं** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **08–03–2021** को **जीतू कुलहरी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–01–2021 (प्रदर्श–'अ' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.04.29 14:07:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं

राजस्व वाद संख्या 152 / 2019
GCMS NO. 2019/00836
रहीश कुमार बनाम रामस्वरूप आदि
निर्णय दिनांक 08—03—2021

यह आज तारीख 08—03—2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं

उपखण्ड अधिकारी एवं अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.04.29 14:07:50 IST
Reason: SelfAttested